सिफारिशों का सार

सूचनाएं एकत्र करने तथा उसके संकलन के सन्दर्भ में

(पैराग्राफ 2.1 से 2.44)

1. सभी आवश्यक तथा अनुमोदित वैकल्पिक स्रोत कोडस से सूचनाएं एकत्र की जाए ;

2. एकत्रित की गई सारी सूचनाओं को सीआईबी/एनएसडीएल उसी वर्ष अपलोड करें तथा सूचनाओं को अपलोड करने में आने वाली बाधाओं को हटाया जाए ताकि संवीक्षा निर्धारण में इनका प्रयोग किया जा सके ;

3. ऐसी उचित प्रणाली स्थापित की जाए जिससे फील्ड कार्यालयों को प्रसारित करने से पहले एआईआर/सीआईबी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। एआईआर में अथवा आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में तथ्यात्मक सूचनाएं अशुद्ध रूप से देने के लिए कानून में प्रभावी दंडात्मक प्रावधानों की भी आवश्यकता है ;

4. नॉन एआईआर सूचनाएं एकत्रित करने में आने वाली समस्याओं से बचाव के लिए वेब आधारित सूचना एकत्रण प्रणाली के विकास की संभावनाओं की खोज की जानी चाहिए। इससे अनावश्यक तथा असंतुलित आकड़ों का भी ध्यान रखा जा सकेगा ;

5. एआईआर को फाइल करने की प्रणाली की उपयोगिता तथा उसके प्रभाव को मापने के लिए आन्तरिक समीक्षा आरम्भ की जानी चाहिए ;

6. नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए आपत्ति सम्बन्धी पत्रों को जारी करने तथा मामलों को डीआईटी-सीआईबी को वापस भेजने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपत्ति पत्र निर्धारित समय/तिथि को जारी किए जाते हैं तथा यदि पत्र बिना प्राप्ति के वापिस आ जाते हैं तो मामले डीआईटी-सीआईबी को निर्धारित समय अवधि में वापिस भेजे दिए जाते हैं ताकि प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी की जा सके ;

सूचनाओं के प्रसारण के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.45 से 2.57)

7. बिजनेस इन्टेलीजेंस उपायों सहित समुचित तन्त्र विकसित किया जाए ताकि आईटीडी तथा सूचनओं को आईटीडी को उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों दोनों के द्वारा उच्च मूल्य पर संग्रहीत सूचनाओं का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित हो जिससे कर आधार को सुदृढ़ तथा विस्तृत करने का उद्देश्य प्राप्त हो सके ;

8. सीआईबी मॉडयूल में उपलब्ध सभी कार्यात्मकताओं का उपयोग हो।

सूचनाओं के प्रयोग के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.1 से 3.28)

9. आईटीडी को विभिन्न स्तरों पर सीबीडीटी द्वारा स्थापित निगरानी प्रणाली को सुनिश्चित करना चाहिए ;

10. फार्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओं का प्रयोग अंकीकरण तथा उसे प्रसारित करके सुनिश्चित किया जाए;

11. नॉन-पैन एआईआर मामलों के निपटान के लिए नियमित आधार पर पदासीन निर्धारण अधिकारियों के नामांकन पर जोर दिया जाए ;

12. निर्धारणों के मामलों में उपलब्ध सूचनाओं को रिकार्ड करने अथवा उसका प्रयोग करने में विफल एओज़ की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।